

फर्द अहकाम  
(विधम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

यसिंह पिता उदयलाल मीणा निवासी टोला .

बनाम

रामदेव पिता हजारी मीणा निवासी टोला वगैरह

किरम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 393/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज  | नाम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये |
|-------------|---|--|
| 23/05/2024  | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम टोला प.ह. धौड आराजी सं. 210, 211, 212, 202, कुल किता 04 रकबा 0.7769 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम टोला प.ह. धौड आराजी सं. 210, 211, 212, 202, कुल किता 04 रकबा 0.7769 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> |  |

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 23/05/2024

कमाक/रीडर/2024/393/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 393/2024 अनवान जयसिंह पिता उदयलाल मीणा निवासी टोला  
बनाम रामदेव पिता हजारी मीणा निवासी टोला, छोटू पिता हजारी मीणा निवासी  
टोला, रामक्रिशन पिता कल्याण ढोली निवासी टोला, रमेश पिता सुवालाल मीणा  
निवासी टोला, ताराचन्द पिता सुवालाल मीणा निवासी टोला, फुलचन्द पिता  
नारायण मीणा निवासी टोला, शिवलाल पिता उदा मीणा निवासी टोला, बहादुर  
पिता उदा मीणा निवासी टोला, मोती पिता नन्दा मीणा निवासी टोला,  
तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम टोला प.ह. धौड  
आराजी सं. 210, 211, 212, 202, कुल कित्ता 04 रकबा 0.7769 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों  
की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा,  
उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को  
प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन  
भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम  
में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा